"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2018—ज्येष्ठ 18, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, D. Janakamma ध. प. श्री D. Madhav Rao, उम्र 45 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-5-C, सड़क नं.-17, सेक्टर-11, जोन-1, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड में मेरा सही व वास्तविक नाम D. Janakamma दर्ज है, किन्तु मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम Dhunna Jankamma व मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में D. Janki दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने सभी शासकीय व अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में व मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा सही नाम D. Janakamma जोड़वाने के संबंध मे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे D. Janakamma ध. प. श्री D. Madhav Rao, के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
Dhunna Jankamma D. Janki पति-Shri D. Madhav Rao निवासी-क्वा. नं.-5-C, सड़क नं.-17, सेक्टर-11, जोन-1, खुर्सीपार, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	D. Janakamma पति-Shri D. Madhav Rao निवासी-क्वा. नं.-5-C, सड़क नं.-17, सेक्टर-11, जोन-1, खुर्सीपार, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तीरथ राम साहू आत्मज स्व. अभ्यास राम साहू, उम्र 43 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-4/डी., सड़क-41, सेक्टर-6 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा पूर्ण व सही नाम तीरथ राम साहू आ. अभ्यास राम साहू दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा अपूर्ण नाम तीरथ राम दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम के आगे "साहू" उपनाम जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे तीरथ राम साहू आ. स्व. अभ्यास राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
तीरथ राम पिता-श्री अभ्यास राम साहू निवासी-क्वा. नं.-4/डी., सड़क-41, सेक्टर-6 भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)	तीरथ राम साहू पिता-स्व. अभ्यास राम साहू निवासी-क्वा. नं.-4/डी., सड़क-41, सेक्टर-6 भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश कुमार शाह आत्मज श्री माणिक चन्द शाह, निवासी-फ्लैट नं.-बी 48, बन्यान ट्री एन्क्लेव, खम्हारडीह रोड, शंकर नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड व अन्य आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरे पिताजी का वास्तविक नाम माणिक चन्द शाह दर्ज है, किन्तु मेरे पेन कार्ड में मेरे पिताजी का घरेलू नाम "रामवतार शाह" दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पेनकार्ड में मेरे पिताजी का सही नाम "माणिक चन्द शाह" जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राजेश कुमार शाह आ. श्री माणिक चन्द शाह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राजेश कुमार शाह पिता-रामवतार शाह निवासी-फ्लैट नं.-बी 48, बन्यान ट्री एन्क्लेव, खम्हारडीह रोड, शंकर नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	राजेश कुमार शाह पिता-माणिक चन्द शाह निवासी-फ्लैट नं.-बी 48, बन्यान ट्री एन्क्लेव, खम्हारडीह रोड, शंकर नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरूण कुमार गडपायले, आत्मज स्व. उदल राम गडपायले, उम्र 58 वर्ष, निवासी- म. नं.-127, वार्ड नं.-13, पानी टंकी के पास आर्य नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे पेनकार्ड, सेविंग खाता तथा समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा पूर्ण व सही नाम अरूण कुमार गडपायले दर्ज है किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अरूण कुमार व मेरे आधार कार्ड में अरूण गडपायले दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम अरूण कुमार गडपायले रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अरूण कुमार गडपायले आ. स्व. उदल राम गडपायले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अरूण कुमार, अरूण गडपायले पिता-स्व. उदल राम गडपायले निवासी-म. नं.-127, वार्ड नं.-13, पानी टंकी के पास आर्य नगर दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	अरूण कुमार गडपायले पिता-स्व. उदल राम गडपायले निवासी-म. नं.-127, वार्ड नं.-13, पानी टंकी के पास आर्य नगर दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निलाम्बर दलाई आत्मज स्व. सेवक दलाई, उम्र 54 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-15/एफ., सड़क-51, बालाजी नगर, वार्ड नं.-30, जोन-2, खुर्सीपार भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम निलाम्बर दलाई दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम निलाम्बर दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने सर्विस रिकार्ड में अपने नाम के साथ "दलाई" उपनाम जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे निलाम्बर दलाई आ. स्व. सेवक दलाई के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
निलाम्बर पिता-स्व. सेवक दलाई निवासी-क्वा. नं.-15/एफ., सड़क-51, बालाजी नगर, वार्ड नं.-30, जोन-2, खुर्सीपार, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	निलाम्बर दलाई पिता-स्व. सेवक दलाई निवासी-क्वा. नं.-15/एफ., सड़क-51, बालाजी नगर, वार्ड नं.-30, जोन-2, खुर्सीपार, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, महेश चंद आत्मज स्व. सरजू प्रसाद उम्र 52 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-10 सी, सड़क नं.-7, सेक्टर-2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र आदर्श केशरवानी के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम महेश केशरवानी दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे सर्विस रिकार्ड व मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा सही नाम महेश चंद दर्ज है. मैं अपने पुत्र के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सभी अभिलेखों, दस्तावेजों में मेरा सही नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को आदर्श केशरवानी आ. महेश चंद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
महेश केशरवानी पिता-स्व. सरजू प्रसाद निवासी-क्वा. नं.-10 सी, सड़क नं.-7, सेक्टर-2, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	महेश चंद पिता-स्व. सरजू प्रसाद निवासी-क्वा. नं.-10 सी, सड़क नं.-7, सेक्टर-2, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रमोद गुरूद्वान आत्मज स्व. गौरीशंकर गुरूद्वान, उम्र 54 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी-मु. पो- बरपाली, बाजार मोहल्ला, थाना-उरगा, तहसील करतला, जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग रामपुर/कोरबा के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग कोरबा में कार्यरत हूं. पूर्व में मेरा नाम प्रमोद कुमार दुबे आ. गौरीशंकर था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने उपनाम "दुबे" को हटाकर "गुरूद्वान" जोड़कर नया नाम/उपनाम प्रमोद गुरूद्वान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे प्रमोद गुरूद्वान आ. स्व. गौरीशंकर गुरूद्वान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
प्रमोद कुमार दुबे पिता-गौरीशंकर निवासी-मु. पो- बरपाली, बाजार मोहल्ला, थाना-उरगा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा (छ. ग.)	प्रमोद गुरूद्वान पिता-स्व. गौरीशंकर गुरूद्वान निवासी-मु. पो- बरपाली, बाजार मोहल्ला, थाना-उरगा, तहसील-करतला, जिला-कोरबा (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ कबीरधाम (छ. ग.)

कबीरधाम, दिनांक 30 दिसम्बर 2017

क्रमांक/उपंक/परि./2017/1857.—बजरंग दुग्ध सहकारी समिति मर्या. रुसे प. क्र. 19 विकासखंड पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षो में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार व उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी दिनांक 16-11-2017 एवं समिति के द्वारा आम सभा में दिनांक 09-12-2017 को प्रस्ताव पारित कर समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26-10-2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बजरंग दुग्ध सहकारी समिति मर्या. रुसे प. क्र. 19 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2017 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. ध्रुव वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक बजरंग दुग्ध सहकारी समिति मर्या. रुसे प. क्र. 19 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 30-12-2017 को जारी किया गया है.

बी. के. ठाकुर
उप पंजीयक .

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 25 मई 2018

[छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2018/1051.—वस्तुत: लखनी देवी देसहार सहकारी समिति मर्या. रतनपुर पं. क्र. 3853 दिनांक11-03-1997 विकास खण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन (संशोधित) आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/569 दिनांक 10-02-2016 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री श्रीकान्त शुक्ला को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करत हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत लखनी देवी देसहार सहकारी समिति मर्या. रतनपुर पं. क्र. 3853 दिनांक 11-03-1997 विकास खण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.